कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : सिविल वर्क (Civil Work) (TB-1)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा चयनित अभियंत्रण विभाग के द्वारा की जाऐगीं।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर टी0यू0 एवं डी0एम0सी0 तथा जिला अस्पताल के स्तर पर जिला यक्ष्मा केन्द्र।
   क. संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली निम्न अनुसार एक डी0एम0सी0 एक लाख की आबादी पर तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक डी0एम0सी0 पचास हजार की आबादी पर होनी चाहिए।
   ख. एक टी0यू0 पॉच लाख की आबादी पर तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दो लाख पचास हजार की आबादी पर होनी चाहिए।
5. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
6. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।
7. डाटा असिस्टेंट सिविल वर्क की तसवीर खीच कर राज्य स्वास्थ्य समिति के वेब पर अपलोड करेगें।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। ~~जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।~~
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक टी.यू. के जिर्णोद्धार में अधिक से अधिक पैतीस हजार, एक डी.एम.सी. में तीस हजार तथा एक जिला यक्ष्मा केन्द्र में एक लाख पचास हजार रूपये का एक बार का प्रावधान है तथा मरम्मती के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक डी.एम.सी. को एक हजार, टी.यू. ड्रग स्टोर को तेरह सौ तथा जिला यक्ष्मा केन्द्र को चार हजार पॉच सौ रूपये का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29/4/09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : सिविल वर्क (Civil Works)

...करने के लिए किया जा रहा है।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रयोगशाला सामग्री/रसायन (Lab Conumables) (ट B-2)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है। इसे आर. एन.टी.सी.पी. का रीढ़ माना गया है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार माईक्रोस्कोपी सेन्टर के लिए प्रयोगशाला सामग्री की आवश्यकता होती है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर एक लाख पचास हजार रूपये तक प्रयोगशाला सामग्री/रसायन पर खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29/5/09

~~का संक्षिप्त विवरण : सिविल वर्क (Civil Work)~~

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : संविदा सेवाएँ (Contractual Services) (T-B-3)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग के रूप में संविदा के आधार पर कर्मियों को नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि एक वर्ष के लिए होती है। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर पॉच प्रतिशत की वृद्धि इनके मानदेय में करते हुए पुनः एक वर्ष/छः माह के लिए संविदा पर नियुक्ति का प्रावधान है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर ख़र्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार सविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों का मानदेय निर्धारित है, जो निम्न प्रकार है–

क.	चिकित्सा पदाधिकारी	–	16,000/– प्रतिमाह
ख.	एस.टी.एस./एस.टी.एल.एस.	–	7,500/– प्रतिमाह
ग.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	–	6,000/– प्रतिमाह
घ.	टी0बी0एच0भी0	–	6,000/– प्रतिमाह तथा 750/– परिवहन भत्ता
ड़	ड्राईवर	–	4,500/– प्रतिमाह
च.	प्रयोगशाला प्रावैधिक	–	6,500/– प्रतिमाह
छ.	पार्ट–टाईम एकांउन्टेन्ट	–	2,000/– प्रतिमाह

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29.5.09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : वेहिकल मेन्टेनेन्स (Vehicle Maintenance) (T B-4)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार
   क. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, एम0ओ0टी0सी0, एस0टी0एस0/एस0टी0एल0एस0 के द्वारा किये गये सुपरवाईजरी विजिट तथा क्षेत्र भ्रमण के लिए उपयोग में लाए गए वाहन की मरम्मती एवं पी0ओ0एल0 पर आने वाले खर्च इस मद से करने का प्रावधान है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार दो पहिया वाहन के लिए प्रतिवर्ष पच्चीस हजार, चार पहिए वाहन के लिए एक लाख पच्चीस हजार खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नेहरू मोदी
29/5/09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : इक्यूपमेन्ट मेन्टेनेन्स (Equipment Maintenance) (T.B.-5)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यालय में उपयोग होने वाले कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस./स्कैनर/फैक्स/फोटोकॉपी मशीन/ए0सी0/बाईनोकुलर माईक्रोस्कोप इत्यादि की मरम्मती का प्रावधान है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य;स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक माईक्रोस्कोप पर अधिक से अधिक एक हजार रूपया तथा कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस./स्कैनर/फैक्स/फोटोकॉपी मशीन/ए0सी0/ओवरहेड प्रावेजेक्टर की मरम्मती पर ज्यादा से ज्यादा तीस हजार रूपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29.5.09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रचार–प्रसार (IEC/Publicity) (T-B-6)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैनर/पोस्टर, वॉल पेन्टिंग, होर्लिंडग, पम्पलेट, माईक प्रचार, नुक्कड़ सभा इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की जाती है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर प्रतिवर्ष पचहत्तर हजार रूपये तक खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्न:–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोर्चा 29/5/09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रशिक्षण (Training) (T-B-7)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यक्ष्मा कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी जाती है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार ट्रेनिंग एवं रिविव मिटिंग के लिए जिला स्तर पर एक मिलियन की आबादी पर पचपन हजार रूपये खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29/5/08

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : वेहिकल हॉयरिंग (Vehicle Hiring) (T-B-8

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा निविदा निकालकर कि जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार एम0ओ0टी0सी0 को अधिक अधिक एक माह में सात दिन तथा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को पच्चीस दिन आर.एन.टी.सी.पी. राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं रहने पर सुपरविजन के लिए किराये पर गाड़ी लेने प्रावधान है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिल स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एम0ओ0टी0सी0 एवं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को 700/– रूपये प्रतिदिन तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 850/– रूपये प्रतिदिन के दर से किराये पर गाड़ी लेने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदक
29/5/09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : चिकित्सा महाविद्यालय (Medical College) (T-B-9)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. नोडल पदाधिकारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा CME/Workshop, ZTF, STF and NTF की बैठक की जाती है तथा इस मद से संविदा पर कार्यरत हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है।
4. नोडल पदाधिकारी के द्वारा अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. नोडल पदाधिकारी के द्वारा अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार 20,000/– रूपया प्रति थेसिस प्रति मेडिकल कॉलेज प्रतिवर्ष, 5,000/– प्रतिवर्ष CME/Workshop के लिए तथा 50,000/– रूपया प्रति कान्फ्रेन्स जो एक वर्ष में चार बार की जाती है के लिए खर्च करने का प्रावधान है। यह राशि अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को दी जाती है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली

   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
25.5.09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ वेहिकल (**Procurement of Vehicle**) (T.

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन की आवश्यकता होती है। जिसका क्रय इस मद से करने का प्रावधान है।
4. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार दो पहिया वाहन के लिए 50,000/– रूपया तक प्रति दो पहिया वाहन क्रय करने का प्रावधान है तथा दो पहिया वाहन के बदलने के लिए कम से कम 6 वर्ष तक चलाया जाना अथवा एक लाख किलोमीटर तक चलाये जाना अनिवार्य है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

29.5.09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ इक्यूपमेन्ट (Procurement of Equipment) (T.B.

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मशीन उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसका क्रय इस मद से करने का प्रावधान है। जैसे– कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस./स्कैनर/फैक्स इत्यादि।
4. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार 60,000/– रूपया प्रति कम्प्यूटर सिस्टम (सॉफ्टवेयर सिस्टम सहित) पर क्रय का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका <u>www.tbcindia.org</u> पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : प्रिटिंग (Printing) (T-B-13)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट के फारमेट, यक्ष्मा से संबंधित रजिस्टर एवं पुस्तिका की छपाई की जाती है।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

<u>इकाई लागत</u>

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

<u>वित्तीय मार्गदर्शन</u>

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर एक लाख पचास हजार रूपये तक छपाई पर खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोर्चा 29/5/09

क्रम का संक्षिप्त विवरण : ऑनोरेरियम (Honorarium) (T.B-14)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार डॉट प्रोवाईडर जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वेतन नहीं पाते हैं। उन्हें प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान है। उदाहरणतः ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/प्रशिक्षित दाई/ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता/कम्यूनिटी वॉलेन्टीयर/आशा इत्यादि।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रति यक्ष्मा रोगी को रोगमुक्त होने अथवा पूरी दवा खिलाने के पश्चात् 250/– रूपये देने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी 29/5/09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : एन0जी0ओ0 / पी0पी0 सपोर्ट (NGO/PP Support) (T.13

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को इस कार्यक्रम के लिए सहयोग के रूप में कार्य ली जाती है। जो एक स्कीम के तहत कार्य करती है।
4. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली एवं रिवाईज्ड स्कीम फॉर एन0जी0ओ0 एंड प्राईवेट प्रोवाईडर 2008 के अनुसार–

क.	ए.सी.एस.एम. स्कीम के तहत	–	1,50,000 / – प्रति मिलियन प्रतिवर्ष
ख.	एस.सी. स्कीम के तहत	–	60,000 / – प्रति सेन्टर प्रतिवर्ष
ग.	ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत (Sputum Pick-up and Transporter Services)	–	24,000 / – प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 विजिट पर
घ.	डी.एम.सी. स्कीम	–	1,50,000 / – प्रतिवर्ष
ड़	एल.टी. स्कीम	–	एल.टी. का मानदेय तथा 5 प्रतिशत ओवर हेड एवं भर्ती का खर्च एक महीने के मानदेय के बराबर
च.	कल्चर एंड डी.एस.टी. स्कीम	–	डी.एस.टी. के लिए 2,000 / – प्रति सेम्पल Species Identification के लिए 4,000 / – प्रति सेम्पल
छ.	Adherence Scheme	–	एन.जी.ओ. के लिए 40,000 / – रूपया प्रति लाख की आबादी पर Cat-I, Cat-II, Cat-III के लिए 250 / – रूपया प्रति मरीज दवा खिलाने के लिए Cat-IV के लिए 2,500 / – रूपया प्रति मरीज दवा खिलाने के लिए पी0पी0 को 400 / – रूपये प्रति मरीज
ज.	स्लम स्कीम	–	50,000 / – रूपया प्रति बीस हजार की आबादी पर
झ.	टी0यू0 मोड्यूल	–	Grant-in-Aid Startup 4,00,000 / – रूपया 5,30,000 / – रूपया Annual Assistance
ञ.	टी.बी. एच.आई.भी. स्कीम	–	1,20,000 / – प्रति एन.जी.ओ. एक हजार टारगेट आबादी

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली एवं रिवाईज्ड स्कीम फॉर एन0जी0ओ0 एंड प्राईवेट प्रोवाईडर 2008
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र प्रोटर्ड 29.5.09

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : विविध (Miscellaneous) (T-13-16)

1. पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए किया जा रहा है।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
3. एक वित्तीय वर्ष के अन्दर की अवधि लगेगी।
   संशोधित यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय व्यय में आने वाले खर्च के लिए विविध मद से खर्च करने का प्रावधान है जैसे– टी0ए0/डी0ए0 (प्रशिक्षण को छोड़कर)/ बिजली बिल/टेलिफोन बिल/फैक्स/डाक खर्च/स्टेशनरी/दवा के परिवहन इत्यादि।
4. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
5. कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने की अपेक्षा की जाती है।

इकाई लागत

1. जिला स्तर से प्राप्त पी.आई.पी. को समेकित कर राज्य स्तर पर पी.आई.पी. तैयार की गई है। जिला स्तर पर मदवार खर्च की जाएगी। जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्दर खर्च होने की सम्भावना है।
2. जिले के बजट उनके अनुरूप है तथा भारत सरकार से जिलों एवं राज्य स्तर पर राशि स्वीकृत है।
3. राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में वित्तीय संचिका का संचालन होगा।

वित्तीय मार्गदर्शन

1. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर एक लाख पचास रूपये तक इस मद से खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
2. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
3. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निदेशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी
29/5/09